महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

निविदा शुल्क 200/–
निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय
दिनांक 03.01.2017 समय अपरान्ह 02.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक व समय
दिनांक 03.01.2017 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक

विश्वविद्यालय में रद्दी उठाये जाने संबंधित निविदा।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म /संस्था का पूरा नाम व स्थायी पता

   ----
2. फोन नम्बर कार्यालय-------------------------- निवास ----------------------
3. स्थानीय पूरा पता (यदि कोई हो तो) --------------------------------------
4. निविदा शुल्क की राशि ------------ नकद रसीद संख्या ------------ दिनांक ------ रेखांकित पोस्टल ऑर्डर द्वारा जमा करा दी है।
5. निविदा सूचना संख्या -------- दिनांक -------- जो --------- समाचार पत्र दिनांक------- के संस्करण में प्रकाशित हुई में वर्णित समस्त शर्तो का पालना करने लिए हम सहमत हैं। उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गयी है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रतिक स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।
6. दर्शायी गयी दरें कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस तक विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों/अनुभागों पुस्तकालय भवनों में रखी रद्दी अनुमोदित फर्म द्वारा उठाये जाने तक वैध होंगी है।
7. बयाना राशि (Earnest Money) रूपये 2500/– की नकद रसीद /डी.डी संख्या -------- दिनांक -------- जमा करायी गयी है।
8. सम्बन्धित सर्कल के आयकर अधिकारी का वेट/सेवाकर/शोधन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है।
9. आयकर पेन नं/ टिन नं. संलग्न की जा रही है।
10. निर्धारित घोषणा पत्र संलग्न है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

निविदादता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता..

मोबाईल नं. ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर।

निविदा एवं संविदा की शर्तें

आवश्यक टिप्पणी :– निविदाकार को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

1. कोटेशन निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजे जाने चाहिये।
2. लिफाफे के ऊपर "रद्दी के लिये टेन्डर" उल्लेख साफ अक्षरों में लाल स्याही से लिख जावें।
3. दरों की ईकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी आवश्यक लिखी जानी चाहिये।
4. निविदा उन फर्मों/व्यापारियों द्वारा हो जो उस सामान का जिसके लिये निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हों दी जानी चाहिये।
5. "रद्दी जंहॉ है जैसी है" के आधार पर अनुमोदित फर्म को निविदा की शर्तानुसार उठानी होगी। इच्छुक निविदादाता निस्तारण हेतु उपलब्ध रद्दी की निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निरीक्षण कर सकेगें यदि इस सम्बन्ध में कोई संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
6. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेंसी को सोंप सकेगा और न ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
7. सफल निविदादाता को रद्दी की सामग्री उठाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि रद्दी नियत स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुँचे, बिखरे नहीं । यदि ऐसा नहीं होने पर ऐसी हानी या कमी को पूरा करने के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा।
8. निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकार की गई, को सम्पूर्ण माल पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उठा लेना होगा, इस अवधि में माल न उठाने पर 500/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से माल पड़ा रहने का गोदाम किराया देना होगा। जिसकी वसूली धरोहर राशि से तथा कम पड़ने पर अलग से की जा सकेगी। माल कार्यालय के विभिन्न भवनों से पूरा उठाना होगा। माल में से कुछ भी हिस्सा कार्यालय में नहीं छोड़ने दिया जावेगा।
9. जिनकी दरें स्वीकार होगी उसको अनुमानित कुल मूल्य की एक चौथाई राशि कुलसचिव, म0द0स0, विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम बैंक ड्राफट/नकद में सिक्यूरिटी मनी (प्रतिभूति राशि) के रूप में दर स्वीकृत की सूचना मिलने के 07 दिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। सामग्री का प्रत्येक लोट उठाने के पूर्व सामग्री के मूल्य के बराबर कीमत विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी एवं रू. 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर संलग्न इकरारनामें के प्रारूप के अनुसार करार पत्र निष्पादित करना होगा। सिक्यूरिटी (प्रतिभूति राशि) फर्म द्वारा सम्पूर्ण माल उठा लेनें एवं संतोषप्रद रूप से कार्य निष्पादन के 15 दिवस में लौटा दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. यदि इस माल के अलावा कोई अन्य सामान बाद में बेचने लायक हुआ तो उसे मौके पर ही बतला दिया जायेगा, तथा निविदादाता उनकी भी दरें निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व दे सकते हैं।
11. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये। पेंसिल से या अन्य किसी चीज से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। कोई उपरिलेखा (ओवर राईटिंग) नहीं किया जाना चाहिए। शुद्वियॉ, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लद्यु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
12. निविदाकार को निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबधों की स्वीकृति स्वरूप निविदा के प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अंत में हस्ताक्षर करने चाहिये।

13. निविदा के साथ धरोहर राशि के निविदानुसार रूपये नकद अथवा डी.डी. (डिमान्ड ड्राफट) के रूप में होनी चाहिये इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डिमान्ड ड्राफट कुलसचिव म0द0स0विश्वविद्यालय,अजमेर के पक्ष में होना चाहिये। धरोहर राशि के लिये चैक स्वीकार्य नहीं।
14. फर्मो को किये गये संदाय पर विप्रेषण व्यय (रेमिटेश चार्जेज) संविदाकारों द्वारा वहन किया जायेगा।
15. निविदाकार द्वारा सामान को उठाने का कार्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर न करने पर विक्रेता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह निविदाकार को सूचना दिए बिना उसकी जोखिम पर माल या उसका कोई भाग अन्य को विक्रय कर दे तथा इस प्रकार होने वाली हानि को निविदाकार को वहन करनी होगी। तथा इस प्रकार किये गये विक्रय पर यदि कोई लाभ होगा तो निविदाकार उसका हकदार नहीं होगा।
16. निविदाकारों या उसके प्रतिनिधियों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संयाचना (कन्वेंसिंग) के कारण संविदा अमान्य हो जायेगी।
17. किसी भी निविदा को स्वीकार करने में विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उच्चतम निविदा ही हो। विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित हैं। जिसके लिये निविदा दी गई है उसकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की इच्छानुसार आदेश दिये जा सकते हैं।
18. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से प्राप्त आयकर शोधन प्रमाण पत्र, बिक्री कर, शोधन प्रमाण पत्र की संख्या सम्बन्धित बिक्री कर/ वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें जिनके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यदि क्रेता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हो (जिन्हें अभिलिखित किया जाना चाहिये) कि निविदाकार आयकर तथा बिक्री करण का शोध प्रमाण पत्र किन्हीं वास्तविक कारणों से नहीं दे सका है तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है, परन्तु वह निविदाकार को उक्त प्रमाण पत्र बाद में प्रस्तुत करने के लिये कह देगा। किन्तु प्रमाण पत्र हर दशा में रद्दी उठाने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।
19. समस्त कानूनी कार्यवाहियों, यदि किसी भी पक्ष (संविदाकार) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पडे तो अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही प्राप्त करनी होगी, किसी अन्य स्थान पर नहीं। एवं विवादास्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय मान्य होगा।
20. विक्रय की जाने वाली सामग्री की सुपुर्दगी फर्म को विश्वविद्यालय की गठित समिति द्वारा अवलोकन एवं अनुमोदन किये जाने के पश्चात् ही की जा सकेगी। रद्दी उठाने से पूर्व एवं पश्चात् अनुमोदित फर्म को गठित समिति की उपस्थिति में खाली ट्रक एवं भरे ट्रक का वजन कराना होगा।
21. दरें कार्य समाप्ति तक मान्य होगी।
22. किसी भी सामग्री की मात्रा का सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये विक्रय की कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।
23. क्रेता चाहे तो विश्वविद्यालय से उठाई जाने वाली सामग्री का किसी भी प्रकार से होने वाली हानि आदि के लिये बीमा अपने स्वयं के खर्चे पर करा सकता है।
24. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदादाता द्वारा निविदा में जोड़ी गयी किसी भी अन्य शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा।

25. विक्रय राशि पर बिक्री कर यदि कोई देय होता है तो विश्वविद्यालय में माल उठाने से पूर्व प्रचलित दर पर राज. कोष में जमा कराने के लिये विश्वविद्यालय में अलग से जमा कराना होगा। यदि बिक्री कर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में बिक्री कर की बकाया राशी जमा कराने हेतु नोटिस प्राप्त होता है तो फर्म को करवंचना हेतु उत्तरदायी माना जायेगा।
26. किसी भी शर्त की व्याख्या करने तथा शर्त में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से शिथिलता दिये जाने का अधिकार कुलपति को ही आरक्षित है।

निविदादता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता..

मोबाईल नं. ....

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैनें/हमने जिस सामग्री (रद्दी झाड़न) के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम बोनोफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ पंजीकृत डीलर हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया है रद्द कर दिया जावेगा।

निविदादता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता..

मोबाईल नं. ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर।

विश्वविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की रद्दी हेतु दरें निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति किलो	विशेष विवरण
1.	समाचार पत्र		
2.	मेगज़ीन		
3.	बुकलैट्स		
4.	अनुपयोगी टाट के थैले		
5.	रद्दी झाड़न की		
6.	पैंकिग मैटिरियल (कॉटून)		
7.	लकड़ी के खोके		
8.	प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त परीक्षा अवेदन पत्र		
9.	प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त ओ0एम0आर0 शीट्स		

निविदादता के हस्ताक्षर मय मोहर

पूर्ण पता...

मोबाईल नं. ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .... माह .... सन् .... को एक पक्ष के ....:........(जिसे इसमें आगे अनुमोदित क्रेता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वाराऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (जिसे इसमें आगे विश्वविद्यालय कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।
2. चूंकि अनुमोदित क्रेता, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी इससे संलग्नक अनुसूची में दी गई सभी वस्तुओं को निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कॉलम .... में दी गयी दरों पर क्रय करने के लिए विश्वविद्यालय से सहमत हो गया है ।
3. चूंकि अनुमोदित क्रेता ने ....रूपये की राशि इस प्रकार से जमा कराई है :– नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... द्वारा ।
4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :–
   1. इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर के कुलसचिव के मार्फत विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित क्रेता .... में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं को विधिवत माल उठायेंगे ।
   2. निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... से संलग्न खुली निविदाएं हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों तथा तदपश्चात किए गए पत्राचार आदि तथा इस करार पत्र के जुडी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जावेगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी ।
   3. निविदादाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें .... तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए पत्र संख्यायें .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे ।
   4. विश्वविद्यालय एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित क्रेता उक्त वस्तुओं को उपर्युक्त तरीके से विधिवत उठायेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा तो विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुमोदित क्रेता को उक्त शर्तों में दिए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल के लिए देय राशि को विश्वविद्यालय में जमा करेगी या जमा करवाएगी ।

टिप्पणी :–

1. यदि क्रेता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत माल उठाने को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगाजिसने वह माल उठाने का आदेश दिया था । किन्तु वह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय माल उठाने को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद आवेदन नहीं कर सकेगा ।

5. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
6. यदि निविदाकार विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सामग्री उठाने का कार्य न कर पाए तो शर्त संख्या 08 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह .... सन् .... को अपने हस्ताक्षर किए ।

हस्ताक्षर निविदाकार
का नाम व पता

कुलसचिव,
म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर

साक्षी नं. 1

साक्षी नं. 1